**भारत सरकार**

**वस्‍त्र मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3974**

**2 अप्रैल, 2018 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**एचएचईसी भुगतानों की जांच**

**3974. सरदार बलविंदर सिंह भुंडरः**

**क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क)** भारतीय हस्त शिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड (एचएचईसी) के साथ सोने के आयात में लगे उन व्यापारियों जिनका भुगतान रोक कर रखा गया है, के वित्तीय वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार लेखापरीक्षित शेष राशि सहित व्यापार-वार नाम क्या हैं;

**(ख)** उन व्यापारियों के नाम क्या हैं जिनकी जांच अभिकरणों द्वारा जांच की जा रही है तथा जिनके भुगतानों को जांच के कारण रोक दिया गया है;

**(ग)** क्या एचएचईसी ने संविदा के अनुसार एचएचईसी के पास व्यापारियों की शेष पड़ी हुई राशि पर ब्याज दिया है; और

**(घ)** यदि हां, तो अब तक भुगतान किए गए ब्याज का ब्यौरा क्या है तथा ब्याज देना बन्द किए जाने के क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**वस्‍त्र राज्‍य मंत्री**

**(श्री अजय टम्‍टा)**

**(क) और (ख):** वित्‍तीय वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षित रिपोर्ट के अनुसारहैंडिक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्‍स एक्‍सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एचएचईसी) ने विभिन्‍न बुलियन पार्टियों को देय 12.45 करोड़ रुपए की राशि रोक दी है क्‍योंकि मैसर्स ईडलवीज कमोडिटीज लि. (ईसीएल) के बुलियन आयात के मामले की केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही है। सीबीआई ने मामले की जांच पूरी नहीं की। जिन बुलियन पार्टियों का भुगतान रोका गया है उनका ब्‍यौरा नीचे दिया गया है:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र.सं. | बुलियन पार्टियों के नाम | करोड़ रुपए |
| 1. | मैसर्स ईडलवीस कमोडिटीज लि. (ईसीएल)-सीबीआई की जांच चल रही है | 5.12 |
| 2. | मैसर्स एसएमसी कामट्रेड लि. | 2.48 |
| 3. | मैसर्स आत्‍माराम अमर नाथ | 1.50 |
| 4. | मैसर्स फ्रास्‍ट इंटरनेशनल लि. | 2.76 |
| 5. | मैसर्स कोठारी प्रोडक्‍ट लि. | 0.23 |
| 6. | मैसर्स रेलिगेअर बुलियन लि. | 0.16 |
| 7. | मैसर्स सोनी चुनीलाल गोविंद भाई ज्‍वैलर्स प्रा.लि. | 0.01 |
| 8. | मैसर्स दिल्‍ली स्‍पॉट बुलियन ट्रेडिंग कं. प्रा.लि. | 0.03 |
| 9. | मैसर्स मैटलॉय ट्रेडिंग सर्विसेज (प्रा.) लि. (यह मामला कस्‍टम्‍स के प्राधिकारियों के पास लंबित है) | 0.11 |
| 10 | एमएमटीसी पैम्‍प इंडिया (प्रा.) लि. | 0.05 |
|  | **कुल** | **12.45** |

**(ग):** जी, नहीं। व्‍यापारियों को शेष राशि पर ब्‍याज का भुगतान करने के लिए करार में कोई प्रावधान नहीं है। एचएचईसी और बुलियन पार्टियों के बीच हुए करारों के अनुसार सभी अप-फ्रंट भुगतानों और एचएचईसी को देय राशियों का समायोजन किए जाने के अध्‍यधीन बैंको के पास आवधिक जमा‍राशियों पर ही ब्‍याज देय है।

**(घ):** प्रश्‍न नहीं उठता।

\*\*\*\*